**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 5049**
**दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आशा कार्यकर्ताओं को परिश्रामिक**

**5049. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:**
**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:**
**श्रीमती सुमलता अम्बरीश:**
**एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**
**श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) देश में आशा कार्यकर्ताओं की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित आशा कार्यकर्ताओं को राज्य-वार पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में दी गई कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आशा को दिया जाने वाला वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी क कर्मचारियों के लिए यथानुशंसित न्यूनतम वेतन से काफी कम है

(घ) क्या सरकार की न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए पारिश्रमिक को संशोधित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का कोई बकाया/मानदेय भुगतान किया जाना लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत छह वर्षों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गए कुल मुआवजे में कितनी वृद्धि हुई है; और

(छ) क्या मुआवजे में उक्त वृद्धि अवधि-विशेष के दौरान मुद्रास्फीति दर के अनुरूप रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (छ): आशा कर्मियों की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में की गई है और वे कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों के हकदार हैं। एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट (30-09-2021 तक) के अनुसार आशा कर्मियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशा कर्मियों के लिए नियमित आवर्ती प्रोत्साहन की संशोधित राशि 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 2000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी थी। अब, आशा कर्मियों को नेमी और आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का एक निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है और इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-II में** दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रियाकलापों के विभिन्न सेटों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में आशा कर्मियों को अनेक प्रकार के मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छूट भी दी गई है और इनका ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया हैं।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के प्रचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत के बाद, आशा कर्मी अब निगरानी किए जाने वाले निष्पादन संकेतकों (1000 रुपये प्रति माह तक) के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं।

राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि सभी आशा कर्मियों के लिए नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान किया जाए।

सरकार ने आशा कर्मियों के योगदान की स्वीकृति के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों तक आशा कर्मियों के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाले आशा कर्मियों को 20,000/- रुपये के नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र को भी अनुमोदित किया है।

आशा लाभ पैकेज आशा कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए शुरू किया गया था यह पैकेज निम्नलिखित को कवरेज करता है:

i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।
ii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2.00 लाख रुपये; आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।
iii) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन लाभ (भारत सरकार द्वारा 50% का प्रीमियम और लाभार्थियों द्वारा 50% अंशदान)।

अनुलग्नक-I

| एनएचएम- एमआईएस रिपोर्ट (30.09.2021 तक) के अनुसार आशा कर्मियों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | आशा कर्मी (ग्रामीण) | आशा कर्मी (शहरी) | कुल आशा कर्मी |
| 1 | बिहार | 92198 | 594 | 92792 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 68212 | 3771 | 71983 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 32356 | 34 | 32390 |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 12550 | 73 | 12623 |
| 5 | झारखंड | 41085 | 1585 | 42670 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 76890 | 5131 | 82021 |
| 7 | उड़ीसा | 45868 | 1865 | 47733 |
| 8 | राजस्थान | 63423 | 4307 | 67730 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 157748 | 6775 | 164523 |
| 10 | उत्तराखंड | 11906 | 1205 | 13111 |
| 11 | अरुणाचल प्रदेश | 4040 | 42 | 4082 |
| 12 | असम | 31334 | 1212 | 32546 |
| 13 | मणिपुर | 3928 | 81 | 4009 |
| 14 | मेघालय | 6620 | 246 | 6866 |
| 15 | मिजोरम | 1091 | 79 | 1170 |
| 16 | नागालैंड | 1917 | 75 | 1992 |
| 17 | सिक्किम | 641 | 17 | 658 |
| 18 | त्रिपुरा | 7590 | 454 | 8044 |
| 19 | आंध्र प्रदेश | 39009 | 3200 | 42209 |
| 20 | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 21 | गुजरात | 44241 | 5676 | 49917 |
| 22 | हरियाणा | 17542 | 2583 | 20125 |
| 23 | कर्नाटक | 38515 | 8538 | 47053 |
| 24 | केरल | 28328 | 2148 | 30476 |
| 25 | महाराष्ट्र | 60967 | 8139 | 69106 |
| 26 | पंजाब | 19281 | 2981 | 22262 |
| 27 | तमिलनाडु | 4025 | 1335 | 5360 |
| 28 | तेलंगाना | 29257 | 3318 | 32575 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 57790 | 5819 | 63609 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 412 | 10 | 422 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0 | 18 | 18 |
| 32 | दादर और नागर हवेली/ दमन एवं दीव | 613 | 6112 | 6725 |
| 33 | दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 593 | 0 | 593 |
| 35 | लक्षद्वीप | 110 | 0 | 110 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 0 | 220 | 220 |

अनुलग्नक-II

## आशा कर्मियों को नेमी एवं आवर्ती गतिविधियों के लिए दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण

| क्र.सं. | प्रोत्साहन | पिछली प्रोत्साहन राशि | प्रोत्साहन (सितंबर, 2018 से) |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस या शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन करना और उसमें भाग लेना | 200/ रु.सत्र | .200/ रु सत्र |
| 2 | वीएचएसएनसी/एमएएस की मासिक बैठक की सूचना देना और मार्गदर्शन करना | 150 रु. | 150 रु. |
| 3 | ब्लॉक पीएचसी/यूपीएचसी में मासिक बैठक में भाग लेना | 150 रु. | 150 रु. |
| 4 | क) वर्ष के प्रारंभ में परिवारों की लाइन लिस्टिंग औरप्रत्येक 6 माह में अपडेट | 100 रु. | 300 रु. |
| | ख) मासिक आधार पर अद्यतन करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखना और जन्म और मृत्यु की सार्वभौमिक पंजीकरण सहायता | 100 रु. | 300 रु. |
| | ग) प्रतिरक्षित किए जाने वाले बच्चों की मासिक आधार पर अद्यतन उचित सूची तैयार करना | 100 रु. | 300 रु. |
| | घ) मासिक आधार पर अद्यतन एएनसी लाभार्थियों की सूची तैयार करना | 100 रु. | 300 रु. |
| | ड.) मासिक आधार पर अद्यतन पात्र जोड़ों की सूची तैयार करना | 100 रु. | 300 रु. |
| | कुल | 1000/- रु. | 2000/- रु. |

| विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का विवरण | | |
|---|---|---|
| | **क्रियाकलाप** | **राशि रुपए में/प्रति मामला** |
| I | **मातृत्व स्वास्थ्य** | |
| 1 | **जेएसवाई वित्त पैकेज** | |
| क. | महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए | 300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र) |
| ख. | संस्थान में प्रसव कराने के लिए | 300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र) |
| 2 | महिलाओं की मृत्यु की सूचना | 200 रु. ( 24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग) |
| II | **बाल स्वास्थ्य** | |
| 1 | नवजात शिशु और प्रसव पश्चात माता आदि/ किशोर बालक/ फॉलोअपल के लिए घर के दौरे | 250 रु./ 50 रु. प्रति दौरा/ 150 रु. केवल जब एमयूएसी 125 एमएम के बराबर या इससे अधिक न हो |
| 2 | **गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा** | |
| क. | पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के परिवारों को ओआरएस का प्रोफाइलैक्टिक वितरण के लिए सप्ताह-1-आशाकर्मी प्रोत्साहन | पांच वर्ष से कम आयु के 100 बच्चों के लिए प्रति ओआरएस पैकिट 1 रु. |
| ख. | गांव में सभी बच्चों के शारीरिक विकास पर निगरानी के लिए सप्ताह-2-आशाकर्मी प्रोत्साहन | कम से कम 80% परिवारों को पूरा करने के लिए प्रति आशाकर्मी 100 रु. |
| ग. | मां (माता का असीम स्नेह) कार्यक्रम | 100रु./आशाकर्मी/तिमाही बैठक |
| III | **प्रतिरक्षण** | |
| 1 | एक वर्ष से कम/ दो वर्ष की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण | 100.00रु./ 75रु. |
| 2 | ओपीवी प्रतिरक्षण/ डीपीटी बूस्टर के लिए बच्चों को तैयार करना | 100 रु. प्रति दिन/ 50रु. |
| IV | **परिवार नियोजन** | |
| 1 | प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात दो वर्ष/ तीन वर्ष का अंतर सुनिश्चित करना/ विवाह के बाद दो बच्चों के बाद स्थायी रूप से बच्चों की संख्या सीमित करना | 500रु/ 500रु./ 1000रु. |
| 2 | ट्यूबेक्टॉमी के लिए महिलाओं को परामर्श देना, प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना | उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 200 रु.,<br>146 एमपीवी जिलों में 300 रु./ शेष राज्यों में 150/ 200 रु। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | वैसेक्टॉमी और एनएसवी तथा प्रसव पश्चात महिला नसबंदी के लिए व्यक्तियों को परामर्श देना प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना | उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 300 रु. और 146 एमपीवी जिलों में 400 रु. और शेष राज्यों में 200 रु. |
| **मिशन परिवार विकास- छह राज्यों में चयनित 146 जिलों में (उत्तर प्रदेश में *57,* बिहार में *37,* राजस्थान में *14,* झारखंड में *9,* छत्तीसगढ़ में *2* और असम में 2)** | | |
| 4 | इनजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला गर्भनिरोधक एमपीए- (अंतारा कार्यक्रम) और एक गैर-हार्मोनल साप्ताहिक सेन्ड्रोमैल गोली (छाया)- आशार्मियों को प्रोत्साहन | प्रति खुराक 100 रु. |
| 5 | मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय क्रियाकलाप | 150/आशाकर्मी/राऊंड |
| 6 | नई पहल- नए विवाहित जोड़ों के लिए एक एफपी किट | 100/-आशाकर्मी/नयी पहल किट का वितरण |
| 7 | सास बहू सम्मेलन- सम्मेलन के लिए सास-बहू को जागरूक करना | 100रु./ प्रति बैठक |
| 8 | प्रत्येक एमपीवी अभियान से पहले ईसी सर्वेक्षण का अद्यतन | 150/रु. आशा/तिमाही राऊंड |
| V | **किशोर स्वास्थ्य** | |
| 1 | किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन | छ: सैनेटरी नैपकिनों के 1 पैक के लिए 1 रुपया |
| 2 | मैनस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में किशोरियों के साथ मासिक बैठक का आयोजन | 50/-रु. बैठक |
| 3 | पीएलए बैठकों का आयोजन करना- 2 बैठक प्रति माह | 100 रु./ आशाकर्मी/ प्रति बैठक |
| VI | **संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम** | |
| 1 | टीबी रोगियों की श्रेणी I/श्रेणी-II (टीबी के नए मामले/ पूर्व में उपचारित टीबी मामले) | 42 संपर्कों (भेंटों) के लिए 1000 रु/ 57 संपर्कों के लिए 1500 रुपए |
| 2 | ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों को उपचार और सहायता | उपचार के पूर्ण कॉर्स के लिए 5000रु |
| 3 | लाए गए संदिग्ध व्यक्ति का निदान चिकित्सा अधिकारी/प्रयोगशाला द्वारा टीबी रोगी के रूप में होने संबंधी अधिसूचना[1] | 100 रु. |
| VII | **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम** | |
| 1 | कुष्ठ रोग के पॉकी- बेसीलरी मामलों/ मल्टी-बेसीलरी मामलों में उपचार– 33 राज्यों (गोवा, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी को छोड़कर) के लिए | 250/रु. निदान के लिए)+ 400रु./ 600रु. (फॉलोअप हेतु) |
| VIII | **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** | |

[1]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **मलेरिया-** ब्लड स्लाइड तैयार करना/ आरडीटी का पूर्ण उपचार या पॉजीटिव पीएफ मामलों का रेडिकल उपचार | 15 रु/ प्रति स्लाइड/ 75 रु प्रति पॉजिटिव मामला |
| 2 | लिम्फैटिक फिलैरियासिस- मामलों की सूची तैयार करना | 200 रु. |
| 3 | एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी एनसेफलाइटिस | |
| | निकटतम सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज में एईएस/जेई मामलों को भेजना | प्रति मामला 300 रु. |
| 4 | काला अजार उन्मूलन | |
| | स्प्रे के राऊंडों के दौरान आशा की भागीदारी/ संदिग्ध मामला रैफर करने हेतु | प्रति राऊंड 100 रु./ प्रति अधिसूचित मामला 500 रु. |
| 5 | डेंगू और चिकुनगुनिया | |
| | 12 उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में डेंगू और चिकुनगुनिया के निवारण और नियंत्रण के लिए इसके स्रोत के ह्रास और आईईसी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन | 200 रु. (सर्वाधिक संचरण मौसम के दौरान 05 महीनों के लिए प्रतिमाह अधिकतम 200 घरों के लिए 1 रु./ घर) |
| 6 | राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम | |
| | नमक की जांच के लिए आशाकर्मी का प्रोत्साहन | नमक के 50 नमूनों के परीक्षण के लिए प्रतिमाह 25 रु. |
| IX | **सीपीएचसी और सार्वभौमिक एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत प्रोत्साहन** | |
| 1 | डाटा रखना और अतिरिक्त सूचना का वैधीकरण और संग्रहण | 5 रु./फार्म/परिवार |
| 2 | प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फार्म भरना | 10 रु./ प्रति फार्म/ प्रति व्यक्ति |
| 3 | रोगियों का फोलोअप | 50 रु./ प्रति मामला/ द्विवार्षिक |
| 4 | सीपीएचसी घटक के तहत नए सर्विस पैकेजों की डिलीवरी | 1000 रु./आशाकर्मी/ प्रतिमाह |
| X | **पेयजल और स्वच्छता** | |
| 1 | शौचालय के निर्माण और इनके प्रयोग के लिए तथा व्यक्तिगत नल कनेक्शन लेने के लिए परिवारों को प्रेरित करना | प्रति परिवार 75 रु. |

**अनुलग्नक-IV**

**आशाकर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का राज्यवार ब्यौरा**

1. आंध्र प्रदेश 10,000 रुपए प्रति माह के कुल प्रोत्साहन को पूरा करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है;

2. अरुणाचल प्रदेश-100% टॉप अप प्रदान करता है;

3. बिहार- प्रति आशा कर्मी 1000 प्रति माह 5 निर्दिष्ट कार्यक्षमता से संबद्ध 06 कार्यकलापों के लिए (वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू)

4. छत्तीसगढ़-एक आशाकर्मी द्वारा वार्षिक आधार पर टॉप अप के रूप में अर्जित प्रोत्साहनों की राशि का 75%;

5. दिल्ली- कार्यरत आशाकर्मी के लिए 3000रुपए (आशाकर्मी द्वारा निष्पादित 12 कार्यकलापों के लिए);

6. गुजरात 50% टॉप अप प्रदान करता है;

7. हरियाणा- जून-2018 से 4000 रुपए प्रति माह और 50% टॉप-अप;

8. हिमाचल प्रदेश- 2000 रुपए प्रति माह;

9. कर्नाटक- 4000 रुपए प्रति माह – हाल ही में टॉप अप प्रोत्साहन के स्थान पर शुरू किया गया;

10. केरल-वित्त वर्ष 2020-21 में 5000 रुपए प्रति माह;

11. ओडिशा- 1अप्रैल, 2018 को शुरू की गई राज्य निधि से 1000 रुपए प्रति माह;

12. राजस्थान- आईसीडीएस के माध्यम से 2700 रुपए प्रति माह;

13. सिक्किम-6000 रुपए प्रति माह;

14. तेलंगाना 6000 रुपए प्रति माह के बराबर कुल प्रोत्साहन राशि पूरी करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है।

15. त्रिपुरा 08 निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए 100% टॉप-अप और अन्य गतिविधियों के आधार पर 33% टॉप-अप प्रदान करता है;

16. उत्तराखंड- 5000 रुपए प्रति वर्ष और 1000 रुपए प्रति माह;

17. उत्तर प्रदेश- प्रति आशा प्रति माह 750 रुपए पांच निर्दिष्ट गतिविधियों की कार्यक्षमता से संबद्ध है (मार्च 2019 से शुरू); और

18. पश्चिम बंगाल- 3000 रुपए प्रति माह।